

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/3185

दिनांक: 30/11/2021

अधिसूचना


विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	अलवर	कोटकासिम	ग्राम पंचायत कोटकासिम के ग्राम कोटकासिम (जनसंख्या -8,538) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोटकासिम की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/ 3186-3230

दिनांक: 30/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर अलवर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच / उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत कोटकासिम जिला अलवर।
18. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/3031

दिनांक: 10-11-21

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	अलवर	गोविन्दगढ	ग्राम पंचायत गोविन्दगढ के ग्राम गोविन्दगढ (जनसंख्या - 11552) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोविन्दगढ की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/3032-3083

दिनांक: 10-11-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अकंक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त जयपुर/जिला कलक्टर अलवर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 25 प्रांत्या उपलब्ध कराने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, राजस्थान निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करना हेतु।
17. सरपंच / उपसरपंच संबंधित ग्राम पंचायत गोविन्दगढ
18. सुरक्षित पत्राचार



(संजय माथुर)

विशेष आयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/3101

दिनांक: 25/11/2021

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बोरावड क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	नागौर	बोरावड	ग्राम पंचायत बोरावड के राजस्व ग्राम कस्बा बोरावड (जनसंख्या - 24,975) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोरावड की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 25/11/2021

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/21/3102-3150
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त अजमेर/जिला कलक्टर नागौर राजस्थान।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतिया उपलब्ध कराने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच /उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत बोरावड (नागौर)
18. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी